

06/02/25

पत्रावली पेश हुई। आर्मी वादी अनु० वादी भी अनुपस्थित। तीन बार नोक-रुक कर आवाज लगाई गई, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण को अन्तर्गत आदेश 09 R 8 CPC अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बादतमील तकमील दायिल फफर हो।



[Signature]
06/02/25

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला मड्याप्रदेश (राज०)

